

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,आर्थिक एवं सांख्यिकी

राशि हजार ₹ में

| क्र. | योजना/कार्यक्रम का नाम                | उद्देश्य/परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बजट प्रावधान<br>2024-25 | क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स                                                                                                           | टिप्पणियां |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से प्रति विधानसभा क्षेत्र के मान राशि रु. 4.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जिसमें राशि रु. 2.96 करोड़ को माननीय विधायकों एवं राशि रु. 1.00 करोड़ को प्रभारी मंत्री क द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर मार्गदर्शिका में दिये निर्देश के अनुरूप निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। | 3640000                 | माननीय विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यों की स्वीकृति जारी की जायेगी। |            |

## परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग

राशि हजार ₹ में

| क्र. | योजना/कार्यक्रम का नाम                       | उद्देश्य/परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                            | बजट प्रावधान<br>2024-25 | क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स                                                                                                                                                                                                                                               | टिप्पणियां |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | नवाचारों का बौद्धिक संपदा अधिकार             | प्रदेश में जमीनी स्तर पर किये गये नवाचारों की पहचान करना, उनके प्रोटोटाईप विकसित करने, वाणिज्यिक संभावनाओं का पता लगाने तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार हेतु आईपी एट्रेसल में सहायता करना ।                                                                                      | 5000                    | राज्य में नवाचारों को प्रोत्साहन देना तथा नवाचार का इकोसिस्टम तैयार करने में सहायता करना, 20 नवाचारों प्रस्ताव को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य                                                                                                                             |            |
| 2    | राज्य योजना सुदृढीकरण मूल्यांकन एवं अनुसंधान | राज्य योजना आयोग द्वारा समसामायिक घटनाओं/ आवश्यकताओं के अनुरूप समावेशी विकास के लिए लघुकृत शोध, योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन उपरांत विभागों को परामर्श के रूप में सेवा प्रदान करना ।                                                                                      | 38600                   | गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं मूल्यांकन के कार्य में सहयोग प्रदान करना ।                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3    | जिला योजना का सुदृढीकरण                      | स्थानीय निकायों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से जिलों की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुरूप जिला योजना का निर्माण करना ।<br>राज्य / जिला स्तरीय अधिकारियों / कर्मचारियों का जिला योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सामर्थ्य संवर्धन क्षमता का विकास करना । | 5300                    | 1. प्रदेश के समस्त जिलों की ड्राफ्ट जिला विकास योजना का निर्माण<br>2. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण एवं सामर्थ्य संवर्धन क्षमता का विकास करना तथा सभी ब्लॉक मुख्यालय के अधिकारी /कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन |            |